

FCRA, 2010 के तहत NGO पर कार्रवाई

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[NGO](#), [वैदेशी अंशदान वनियमन अधिनियम, 2010 \(FCRA\)](#), [ऑक्सफ़ैम इंडिया](#), [नागरिक समाज संगठन \(CSO\)](#), [संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद](#)।

मुख्य परीक्षा के लिये:

FCRA के तहत गैर सरकारी संगठनों का वनियमन एवं भारत में विकासात्मक गतिविधियों पर उनके प्रभाव।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने पाँच प्रमुख [गैर सरकारी संगठनों](#) की वित्तीय गतिविधियों एवं उनके उद्देश्यों पर चर्चाओं के कारण, [वैदेशी अंशदान वनियमन अधिनियम, 2010 \(FCRA\)](#) के तहत कार्रवाई की है।



- इन गैर सरकारी संगठनों में [ऑक्सफ़ैम इंडिया](#), [सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च \(CPR\)](#), [एनवायरनमेंटल ट्रस्ट \(ET\)](#), [लीगल इनशिएटिव फॉर फॉरेंस एंड एनवायरनमेंट \(LIFE\)](#) और [केयर इंडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट \(CISSD\)](#) शामिल हैं।
- हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय न्यायिक आयोग \(ICJ\)](#) ने भारत के FCRA की आलोचना करते हुए कहा कि यह [दमनकारी](#) है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

इन NGO के वरिद्ध प्रमुख आरोप क्या हैं?

| मुद्दा | विवरण |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विकास परियोजनाओं में बाधक | LIFE पर आरोप है कि वह भारत में कोयला खदानों और ताप वदियुत परियोजनाओं का वरिध करने के लिये अमेरिकी एनजीओ अर्थजस्टिस का साधन बना हुआ है। |
| वरिध प्रदर्शन हेतु फंडिंग मलिना | ET और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने कथित तौर पर झारखंड में एक ताप वदियुत संयंत्र के निर्माण का वरिध किया तथा भारत में कोयला उद्योगों के खिलाफ वरिध प्रदर्शन को संगठित करने के लिये यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन (ECF) के साथ सहयोग किया। |
| फंड का कूपबंधन | CPR को अपने नमात-पर्यावरण न्याय कार्यक्रम के लिये वैदेशी धन प्राप्त हुआ , जिसका उपयोग कथित तौर पर नरिदषि्ट अनुसंधान या शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय मुकदमेबाजी के लिये किया गया। |
| वैदेशी एजेंटों के साथ मलिकर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होना | ऑक्सफ़ैम इंडिया पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कंपनियों की खनन गतिविधियों को रोकने की साजशि रचने, कथित तौर पर ऑक्सफ़ैम ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करने तथा वैदेशों में भारतीय हतियों के खिलाफ कार्य करने का आरोप है। |
| अवैध गतिविधियों के लिये अन्य गैर सरकारी संगठनों का उपयोग | FCRA लाइसेंस रद्द होने के बाद ऑक्सफ़ैम ने अवैध गतिविधियों के लिये धन को पुनर्रिदेशित करने हेतु वैध अनुमति वाले "कठपुतली एनजीओ" की ओर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि जोश और अमन बरिदरी ट्रस्ट को धन उपलब्ध कराना। |
| राजनीतिक एजेंडा | गैर सरकारी संगठनों पर समग्र रूप से जनहति की सेवा करने के बजाय वशिषि्ट धार्मिक समुदायों या जातियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। |

FCRA वदिशी धन प्राप्त् करने वाले NGO को कैसे नयित्तरति करता है?

- FCRA की नगिरानी: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) FCRA के कार्यान्वयन की नगिरानी करता है।
 - FCRA के माध्यम से मंत्रालय वदिशी दान को नयित्तरति कया जाता है ताक यह सुनिश्चित कया जा सके कएसे फंड से देश कआंतरकि सुरक्षा पर प्रतकिल प्रभाव न पड़े।
- पंजीकरण की आवश्यकता: वदिशी दान प्राप्त् करने का आशय रखने वाले कसि भी संघ, समूह या NGO को FCRA के तहत पंजीकरण करना अनविर्य है। यह पंजीकरण NGO को सामाजकि, शैक्षकि, धार्मकि, आर्थकि और सांस्कृतकि कार्यक्रमों के लयि योगदान प्राप्त् करने की अनुमतदिता है।
- पंजीकरण की पाँच वर्ष की वैधता: एक बार जब कोई NGO, FCRA के तहत पंजीकृत हो जाता है तो उसका पंजीकरण पाँच वर्ष के लयि वैध हो जाता है। इस अवधि के बाद NGO को वदिशी योगदान प्राप्त् करना जारी रखने के लयि नवीनीकरण के लयि आवेदन करना होगा।
- वर्ष 2010 का कानून और वर्ष 2020 में संशोधन: मूल [FCRA अधनियम, 1976](#) को नरिसति कर दया गया और वर्ष 2010 में वदिशी योगदान को नयित्तरति करने वाले कानून को अधुनकि बनाने के लयि नए कानून द्वारा प्रतसिथापति कया गया। वर्ष 2020 में वनियमों को सख्त करने और वदिशी दान की नगिरानी में सुधार करने के लयि अतरिकित संशोधन कयि गए।
- उद्देश्य-पूर्वक उपयोग: वदिशी नधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लयि कया जाना चाहयि, जसके लयि उन्हें प्राप्त् कया गया था, जैसा क अधनियम के तहत नरिधारति कया गया है।
- हस्तांतरण संबंधी प्रतबिंध: पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अन्य गैर सरकारी संगठनों को वदिशी धनराशि हस्तांतरति करने पर प्रतबिंध है।
- SBI बैंक खाता: पंजीकृत संस्थाओं को वदिशी धन प्राप्त् करने के लयि भारतीय स्टेट बैंक, दल्लि में एक समरपति बैंक खाता खोलना अनविर्य है।
- वार्षकि रटिरन: गैर सरकारी संगठनों को वार्षकि रटिरन दाखलि करना आवश्यक है, ताक वदिशी योगदान के उपयोग में पारदर्शति सुनिश्चित हो सके।
- प्रतबिंधति संस्थाएँ: FCRA चुनाव उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनयिों, नयायाधीशों, सरकारी कर्मचारयिों, वधियकि के सदस्यों, राजनीतिक दलों और राजनीतिक प्रकृतकि के संगठनों को वदिशी योगदान प्राप्त् करने से रोकता है।
- सरकार को रद्द करने का अधिकार: यदिकोई NGO FCRA प्राधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सरकार उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है।
 - रद्दीकरण के कारणों में गलत बयान, दो वर्षों तक नषिक्रयिता, प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन या राष्ट्रीय हति के वरिद्ध कार्य शामिल हैं।



भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
 - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
 - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- सफलता की कहानियाँ:**
 - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
 - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
 - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- विनियमन अधिनियम:**
 - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
 - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- 97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
 - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
 - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- पंजीकृत:**
 - सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
 - ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
 - कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद 19(1)(c)**- संघ बनाने का अधिकार
 - अनुच्छेद 43**- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

प्रमुख NGO:

- NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
- अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।



गैर सरकारी संगठनों को बेहतर ढंग से वनियमिति करने के लिये कनि सुधारों की आवश्यकता है?

- परभाषाओं में स्पष्टता:** सरकार को NGO को विदेशी अनुदान देने पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व लोकहति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिये।
 - इससे कल्याणकारी कार्यों में वास्तविक रूप से शामिल नागरिक समाज संगठनों (CSO) के वरिद्ध कानून के दुरुपयोग का जोखिम कम होने की संभावना रहती है।
- स्वतंत्र नरीक्षण:** गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण की निगरानी के लिये एक स्वतंत्र नयामक निकाय की स्थापना से उनके कामकाज में पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
- स्त्रीकृत वनियामक प्रणाली:** राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल गैर सरकारी संगठनों के लिये सख्त रपिर्टिंग हेतु स्त्रीकृत वनियमन दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जबकि मानवीय या विकास कार्यों में शामिल गैर सरकारी संगठनों के लिये नयिमों को आसान बनाया जा सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना:** FCRA को अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानवाधिकार दायित्वों, जैसे कि **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा उल्लिखित, के साथ संरेखित करने के लिये संशोधित करना।**
 - इससे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और नागरिक समाज की अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण तक पहुँच की आवश्यकता के बीच उचित संतुलन स्थापित हो सकेगा।

222222 222222 22222222 2222222:

